संख्याः–1610 / III(2)/08–18(एम0ए0ए0)/07

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून,दिनांक 30 मई, 2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2008–09 में जनपद देहरादून में देहरादून में मोथरोवाला (ढाबा) से मदन प्रकाश सेमवाल के घर से पितृशरण बहुगुणा के घर तक सड़क निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता ग0से0 लो0नि0वि0 पौड़ी ने अपने पत्र सं0–1046/9यात्रा–पर्व0/07 दिनांक 01.03.08, के द्वारा शासनादेश संख्या–171/III(2)/08–42(प्रा.आ.) 07 दिनांक 17.01.08 में क्रमांक 148 पर स्वीकृत उपरोक्त कार्य का आगणन स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया है। मुख्य अभियन्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन लागत रूपये 04.10 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त रूपये 04.07 लाख (रूपये चार लाख सात हजार मात्र) की धनराशि औचित्यपूर्ण पायी गई है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त कार्य हेतु टी0ए0सी0 वित्त द्वारा आंकलित रूपये 04.07 लाख (रूपये चार लाख सात हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

2. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

6. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

10. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नही होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नही किया जायेगा।

11. यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

12. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

13. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय व्ययक मे लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सडके–आयोजनागत–800–अन्य व्यय –03 राज्य सेक्टर –02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

14. शासनादेश की शेष सभी शर्तें शासनादेश संख्या–171/III(2)/08–42(प्रा.आ.) 07 दिनांक 17.01.08 के अनुसार यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या–1610 (1)/III(2)/08–18(एम0एल0ए0)/07, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौडी।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून ।
4. मुख्य अभियन्ता, गढवाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौडी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. अधीक्षण अभियन्ता, नवां वृत्त लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड ।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव